Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल/तिथिबद्ध

सेवा में,

1. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज/ राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (हरियाणा राज्य में)।
2. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला)/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), (हरियाणा राज्य में)।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय कला स्कूल, रोहतक।

यादी कमांक टी–4/पोस्ट मैट्रिक/अल्पसंख्यक/2014/ 2339
दिनांकः 1/10/14

Subject:- **Regarding Time-Line of Prost- Matric Scholarhsip scheme for students belonging to Minority Communities.**

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र कमांक टी–4/पोस्ट मैट्रिक/अल्पसंख्यक/2014/1303 व 2092 दिनांकः 17.6.2014 व 26.8.2014 के सन्दर्भ में ।

सभी संस्थानों के मुखियों को निर्देश दिये जाते है कि पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का लाभ सीधे तौर पर देने के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्र आनॅ–लाईन करने की निर्धारित तिथि 7.10.2014 तक बढ़ाई गई है। इसलिये आप अपने संस्थान में प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के आधार कार्ड बनवाएं और बैंक खाता संख्या को बैंक में जाकर आधार enable करवाएं तथा संस्थान में दाखिले अनुसार प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृति आवेदन पत्र भेजी जा रही हिदायतों के अनुसार उक्त विभाग की वैबसाईट www. momas cholarship .gov.in पर निर्धारित तिथि 7.10.2014 से पूर्व अपलोड करवाना सूनिश्चित करें तथा आवेदन पत्र की हार्ड कापी सभी सम्बंधित सत्यापित दस्तावेजों मे आवेदन–पत्र के साथ छात्र की बैंक पास बुक की प्रति संलग्न करें जिसमें खाता संख्या व आई0एफ0एस0सी0 कोड संख्या सही अंकित करके महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजना सूनिश्चित करेंगें अन्यथा इसकी जिम्मेवारी मुख्य रूप से संस्थान के मुखिया की होगी।

संलग्नः–उपरोक्त।

30/9/14

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ0क0 टी–4/पोस्ट मैट्रिक/अल्पसंख्यक/2014/ 2340 दिनांकः 1/10/14

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:–

1. महानिदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,हरियाणा, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क0 15773, 15770–75/एस0जे0ई0/2014 दिनांक 19.9.2014 के सन्दर्भ में।
2. प्रधानाचार्यो, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, भोडियाखेडा (फतेहाबाद), गुडगांव, हिसार, बहादुरगढ (झज्जर), जीन्द, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ, फिरोजपुर झिरका(मेवात), पलवल, पंचकुला, पानीपत, रिवाडी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर को पुनः निर्देश दिये जाते है कि उन के जिले में जिन संस्थानों को user name password ID अलाट नही किये गये, उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृति आवेदन पत्र उक्त विभाग की वैबसाईट www.momas cholarship.gov.in पर निर्धारित तिथि 7.10.2014 से पूर्व अपलोड करवाऐगें, तथा छात्र द्वारा भेजे जाने वाले आवेदन–पत्र के साथ छात्र की बैंक पास बुक की प्रति संलग्न करें जिसमें खाता संख्या व आई0एफ0एस0सी0 कोड संख्या सही अंकित हो। अन्यथा इसकी जिम्मेवारी मुख्य रूप से जिला स्तर के प्रधानाचार्यो/संस्थान के मुखिया होगी।
3. सहायक निदेशक प्रशिक्षण–4 को प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे अपने स्तर कार्यवाही करने हेतु।
4. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

30/9/14

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग